न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– सचिन यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सख्याः 08/22 दायर दिनांकः 21.02.2022
जीसीएमएस नं. 2022/36

1. केशन्ती पत्नि मानसिंह 2. विमला पत्नि लक्ष्मन सिंह जातियान गुर्जर नि. कमालपुरा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

––प्रार्थीगण

बनाम

1. बल्ला पुत्र लक्खा (मृतक) 1(क). हरीसिंह 1(ख). रामकिशन पुत्रान बल्ला 1(ग). रूपा पत्नि बल्ला 2. केसुला पत्नि धनीराम 3. केशा पुत्री शिवलाल 4. फूली पत्नि शिवलाल (मृतक) 5. वतन पुत्री शिवलाल 6. विजय पुत्र शिवलाल 7. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956
अधिवक्ता– 1.श्री शान्ति स्वरूप शर्मा ––प्रार्थीगण
2.पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 05.09.2024

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 1081 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम कमालपुरा तह. भुसावर में स्थित है, जिसमें से प्रार्थीगण ने 1/5 हिस्से की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड किता 02 विक्रय पत्रों के खरीद किया था। जिनके आधार पर प्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम संवत 2061 लगायत 2064 की जमाबन्दी में नामान्तरकरणों का अंकन होकर खातेदार दर्ज किये गये। जिस पर संवत 2069 लगायत 2072 तक की जमाबन्दियों में प्रार्थीगण की खातेदारी का इन्द्राज दर्ज होता चला आ रहा है।

बाद में उक्त ख.नं. 1081 का नया आ.ख.नं. 1682 रकबा 1.30 हैक्टे. भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा बनाये गये। जिसके आधार पर नई जमाबन्दी में बनाते समय प्रार्थीगण की खातेदारी को कलमजन करके प्रार्थीगण द्वारा खरीद की गई आराजी के विक्रेतागण के नाम अंकन कर दिया और प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है तथा राजस्व कर्मचारियों व भू–प्रबन्ध अधिकारी की सहवन गलती से पूर्व के रिकॉर्ड व नामान्तरकरणों को नजरअन्दाज करते हुए पूर्व विक्रेतागण खातेदारान के नाम खातेदारी दर्ज कर दी। जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में भी होता चला आ रहा है।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई। नोटिस की ताईद में अप्रार्थीगण संख्या 02, 04, 06 की बाद तलवी उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लायी गई तथा अप्रार्थीगण संख्या 03 व 05 की बाद तलवी कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध भी कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लायी गई। जवाब अप्रार्थी संख्या 07 द्वारा पेश किया गया। मुताबिक जवाब तहसीलदार, भुसावर आ.ख.नं. 1682 पर बल्ला पुत्र लक्खा हिस्सा 1/10 के बजाय केशन्ती पत्नि मानसिंह 1/10 व विजय पुत्र शिवलाल, वतन, केशा पुत्रियान शिवलाल, मूली पत्नि शिवलाल, केसूला पत्नि धनीराम, राजू, मुन्शी, पि. धनीराम कमलेश, मिथलेश पुत्रियान धनीराम 1/10 के बजाय विमला पत्नि लक्ष्मन सिंह हिस्सा 1/10 कौम गूजर नि. कमालपुरा शुद्ध किया जाना उचित होगा।

हमने बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं तहसीलदार, भुसावर की रिपोर्ट का भली भांति अवलोकन किया गया। उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 1682 रकबा 08.01 बीघा वाके ग्राम कमालपुरा में बल्ला पुत्र लक्खा हिस्सा 1/10 के बजाय केशन्ती पत्नि मानसिंह हिस्सा 1/10 व विजय पुत्र शिवलाल, वतन, केशा पुत्रियान शिवलाल, मूली पत्नि शिवलाल, केसूला पत्नि धनीराम, राजू, मुन्शी पिस. धनीराम, कमलेश, मिथलेश पुत्रियान धनीराम हिस्सा 1/10 के बजाय विमला पत्नि लक्ष्मन सिंह हिस्सा 1/10 कौम गूजर नि. कमालपुरा शुद्ध राजस्व रिकॉर्ड किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)